समाहरणालय, पूर्णिया

(जिला सामान्य शाखा)

आम सूचना

घरेलु उद्योग को नुकसान पहुँचाने एवं विदेशी मूल के आतिशबाजी प्रकृति में खराब होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ रहे खराब असर के मद्देनजर सरकार के अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–8109, दिनांक–01.12.2015 एवं सरकार के उप सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या–5909, दिनांक–17.06.2016 तथा विस्फोटक नियंत्रक, पटना के पत्र सं0– DM/Gen/FW/2016 दिनांक– 01.09.2016 के आलोक में Explosive Rule 2008 की धारा 84 के तहत पटाखा बेचने वाले सभी व्यापारियों को अनुज्ञप्ति धारक होना आवश्यक है। अस्थाई अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित करते हुए इच्छुक पटाखा बिक्रेताओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

1. Explosive Rule 2008 की धारा 84 के तहत 100 के0जी0 तक पटाखा बेचने एवं रखने हेतु अधिकतम 30 दिनों के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति प्रपत्र LE-5 में प्रदत्त की जायेगी।
2. अस्थाई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र AE-5 में एवं उसके साथ निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क मो0 600.00 (छः सौ) रूपये जमा किये जाने का कोषागार चालान की मूल प्रति जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय, पूर्णिया में दिनांक 08.09.2017 से 22.09.2017 तक के बीच प्रत्येक कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक जमा लिया जायेगा।
3. सम्प्रति विदेशी/चाईनीज पटाखा की खरीद–बिक्री पर रोक है। फलतः विदेशी/चाईनीज पटाखा बेचने वाले दुकानदारों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
4. सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर रखा जाना अनिवार्य है।
5. पटाखा बेचने वाले दुकानदार पटाखा के नजदीक किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रानिक लाईट एवं बिजली का खुली तार का उपयोग नहीं करेंगे।
6. बिना अनुज्ञप्ति के चोरी छिपे विस्फोटक पदार्थ (पटाखा) बेचने एवं रखने वाले व्यक्तियों/दुकानदारों को चिन्हित कर विस्फोट सामग्रियाँ जब्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7. सुरक्षा के दृष्टि से पटाखा के दुकान में अग्निशमन यंत्र, बालू की बाल्टी इत्यादि अग्नि से बचाव के लिए लगाना अनिवार्य होगा।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–11.09.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–6604 दिनांक–10.09.2017 द्वारा निर्गमादेश।

HINDUSTAN, BHAGALPUR
DAINIK JAGRAN, BHAGALPUR
PRABHAT KHABAR, BHAGALPUR